संख्या-14/2015/339/35-3-2015-1(29)/2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च,2015**

विषय: वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत **तालाबघौड़ा मे मार्केटिग शेड** के स्थान पर **गब्बारपुर मे मार्केटिंग शेड निर्माण** की अनुमति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या: 1796/बी0ए0डी0पी0/ 2014-15 दिनांक:5 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा जनपद श्रावस्ती मे वर्ष 2014-15 मे स्वीकृत कार्य **तालाबघौड़ा मे मार्केटिग शेड निर्माण** के स्थान पर **गब्बारपुर मे मार्केटिंग शेड निर्माण** की अनुमति मांगी गयी है।

इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा **तालाबघौड़ा मे मार्केटिग शेड** के स्थान पर **गब्बारपुर मे मार्केटिंग शेड निर्माण** की अनुमति प्रदान की जाती है।

शासनादेश संख्या-925/35-3-2014-1(29)/2014 दिनांक:17 नवम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 339(1)/35-3-2015-1(29)/2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अनुभाग-1 ।

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती।

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।